शैक्षिक समाचार राजस्थान

: : क्रार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :

क्रमांकः–शिविरा–मा / संस्था / एफ–3 / 13322 / परीक्षा अनुज्ञा / 2018 / 243 दिनांक– 17/09/18

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय)

विषयः– सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते है।

उक्त के संबंध में लेख है कि पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने के लिए नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है, इस कार्यालय स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने संबंधी प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

17.5.95

(iii) उच्च अध्ययन की स्वीकृति वांछित शर्तों पर ही स्वीकृत होगी। प. 9(5)30/कार्मिक/क-3/जांच/2004 दि. 18.11.2006

शैक्षिक समाचार राजस्थान

150 years of Mahatma Gandhi

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13322/परीक्षा अनुज्ञा/2020 / 106 दिनांकः 27.01.2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा),
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषयः– उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों मे अध्ययन/ सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक समकक्ष संवर्ग के अनेक कार्मिकों के उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों मे अध्ययन/सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में प्रकरण निदेशालय में भिजवायें जाते है, उस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त पदों के नियुक्ति अधिकारी प्रकरण शिक्षा निदेशालय नहीं भिजवाकर अपने स्तर पर आचरण सेवा नियम–1971 के नियम–17 में उल्लेखित बिन्दु संख्या–4 व राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.9(5)(30)कार्मिक/क–3/ जॉंच/2004 दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा जारी करेंगे–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – [illegible]
क्रमांक:— 3318
दिनांक:— 27.1.20
समस्त Peeo's / संस्थाप्रधान

(नूतन बाला कपिला)
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Phone no. 02932-220440 Email :deosecpali.estb@gmail.com

राजस्थान–सरकार

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

क्रमांकः शिविपा/माध्य/संस्था–1/ए/2018/805 दिनांक : 17.04.2018

प्रेषित :–

समस्त संस्थाप्रधान,
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विधालय
जिला–पाली।

विषय :– सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने बाबत एन.ओ.सी. प्रकरणों के सम्बंध में।

–0–

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि आपके द्वारा अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के समय/आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय ही प्रकरण इस कार्यालय को भिजवाये जा रहे हैं।

अतः निर्देश जारी किये जाते हैं कि कार्मिक का चयन सम्बंधित प्रतियोगी परीक्षा में होने पर ही एन.ओ.सी. हेतु प्रकरण निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को अग्रेषित किये जावे। परीक्षा में आवेदन किये जाने के समय केवल सम्बंधित संस्थाप्रधान को सूचित किया जाना ही आवश्यक है। संस्थाप्रधान को परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में चयनोपरान्त अनापत्ति जारी नहीं की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

क्रमांकः शिविपा/माध्य/संस्था–1/ए/2018/806 दिनांक : 17.04.2018

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाली।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

# कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांकः— उनिशि / मा / अज / शैप्र / फा—61 / 1921 दिनांकः— ~~15.03.2018~~ 5/4/18

प्रधानाचार्य,
राउमावि डोडियाना
अजमेर।

विषयः— उच्च अध्ययन परीक्षा अनुमति जारी करने की अनुमति बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित श्री घनश्याम व.अ. के परीक्षा स्वीकृति प्रकरण के क्रम में लेख है कि :—

सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा नियम 9.7.2 (क) के अनुसार "ऐसी सभी परीक्षाओं को छोड़कर, जहां प्रायोगिक कार्य के लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हो, अन्य सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए शिक्षकों को विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।"

उप निदेशक (मा.)शिक्षा
अजमेर मण्डल,अजमेर

शिक्षक समाचार राजस्थान

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमाक –जिशिअ / माध्य / जोध / सस्था–ब / 2016 / 2060 दिनाक – 0/2/16

समस्त
प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक
राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि
.................... जोधपुर।

विषय– सार्वजनिक परीक्षा अनुमति हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एव योग्यता अभिवृद्धि नियम दिनाक 16.06.1989 के अनुसार किसी कार्मिक का शैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि जिसके कारण अध्यापक की अध्यापन क्षमता मे वृद्धि होती है, तथा जिसमे किसी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा नही होती है, उन परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा केवल सस्था प्रधान को लिखित मे सूचना मात्र देगा। संस्था प्रधान इसे स्वीकृत कर सेवाभिलेख में इन्द्राज करते हुए प्रार्थना पत्र कार्मिक की निजी पंजिका मे संधारित करेगा।

स्पष्ट नियमो मे प्रावधान होने के उपरान्त भी अधिकतर सस्था प्रधानो द्वारा निरन्तर ऐसे प्रकरणो को स्वीकृति हेतु अग्रषित किये जा रहे। यह कृत्य विभागीय नियमो की अनदेखी करना है तथा अनावश्यक रूप से कार्मिको के प्रकरण को लंबित रखने का द्योतक है।

अतः आप इस प्रकार के प्रकरण स्थानीय कार्यालय को प्रेषित नहीं करे।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

शैक्षिक समाचार राजस्थान
शैक्षिक समाचार राजस्थान

# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: आदेश ::

श्री धर्मेन्द्र पटेल, व्याख्याता–राजनीति विज्ञान, राउमावि, बडोदिया, बागीदौरा, बांसवाडा को गोविन्द गुरू ट्राइबल युनिवर्सिटी, बांसवाड़ा से पीएच.डी. (विषय : राजनीति विज्ञान) करने की अनुज्ञा निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. पीएच.डी. स्वयं के खर्चे पर ही करनी होगी।
2. पीएच.डी. करने के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा सर्वेक्षण/प्रयोग करने के लिए नियमानुसार स्वयं का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते विद्यालय व्यवस्था में विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
3. पीएच.डी. शोध कार्य के दौरान कर्त्तव्य निर्वहन में विपरीत प्रभाव पड़ने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।
4. अनुज्ञा दिनांक से एक वर्ष की अवधि में यदि पीएच.डी. पंजीयन नहीं होता है, तो अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
5. पाठ्यक्रम की वैधता नहीं होने की स्थिति में अथवा मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा।
6. पीएच.डी. की उपाधि प्रदत्त होने पर शोध सारांश एवं उपाधि की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
7. यह अनुज्ञा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम–2016" का संबंधित विश्वविद्यालय एवं कार्मिक द्वारा पालन किये जाने के अध्यधीन जारी की जा रही है।

भारत सरकार ...

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रेषक:–
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राज. बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/शोध/पीएच.डी./अनुज्ञा/34285/2019/612 दिनांक : 17.10.2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरू ट्राइबल युनिवर्सिटी, बांसवाड़ा।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक, बांसवाडा ।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, बागीदौरा, बांसवाडा ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, बडोदिया, बागीदौरा, बांसवाडा ।
6. श्री धर्मेन्द्र पटेल, व्याख्याता–राजनीति विज्ञान, राउमावि, बडोदिया, बागीदौरा, बांसवाडा ।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर

# परिपत्र

विषयः— सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा के सम्बन्ध में निर्देश।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांकः शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ–7/1285/99 दिनांकः 11–04–2000 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्याः पं09(5)(30)कार्मिक/क–3/जांच/04 दिनांकः 18–11–2006 के क्रम में आवेदनों के त्वरित रूप से निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है :—

| क्र0सं0 | कार्य विवरण | प्राधिकृत अधिकारी |
|---|---|---|
| 1 | सार्वजनिक परीक्षा/लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति | द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरण में सम्बन्धित उपनिदेशक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरण में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत होंगे। |
| 2. | पत्राचार द्वारा अध्ययन हेतु अनापत्ति/अनुमति | ——उपरोक्तानुसार—— |

किन्तु उक्त में क्रमशः यदि कार्मिक का कहीं चयन होता है अथवा कोई व्यक्ति राज्य के बाहर नियमित अध्ययन करना चाहे तो उसकी स्वीकृति के लिये प्रकरण निदेशालय को भेजें। इस सम्बन्ध में पत्राचार द्वारा अध्ययन के लिये दो वर्ष का अन्तराल बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांकः शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ–7/1285/99 दिनांकः 11–04–2000 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्याः पं09(5)(30)कार्मिक/क–3/ जांच/04 दिनांकः 18–11–2006 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
राज0 बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांकःशिविरा/प्रारं/संस्था/एफ–6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांकः 12-05-08

1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
3. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
4. अनुभाग अधिकारी शिविरा अनुभाग 7 प्रति प्रकाशनार्थ
5. रक्षित पत्रावली

12/5/08
संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
राज0 बीकानेर

JUNE–I TMO 2008

# सार्वजनिक परीक्षा अनुमति - डीडी डीईओ सक्षम

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

## परिपत्र

विषय:— सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एव साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्देश।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ–7/ 1285/ दिनांक: 11–04–2000 एवं परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/ संस्था/एफ–6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक: 12.05.2008 के क्रम में प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु परिपत्र दिनांक: 11–04–2000 के बिन्दु सं0 15 में परीक्षा अनुज्ञा हेतु सक्षम अधिकारी के प्रदत्त अधिकारों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार अधिकारियों को स्वीकृति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत किया जाता है:–

| क्र.सं. | कार्य विवरण | प्राधिकृत अधिकारी |
|---|---|---|
| 1. | समस्त प्रकार (राज्य में तथा राज्य से बाहर) की सार्वजनिक परीक्षा/लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु। | द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित उपनिदेशक प्रारम्भिक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक अधिकृत होंगे। |
| 2. | समस्त प्रकार (राज्य में तथा राज्य से बाहर) के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण/ शोध कार्य के प्रकरण नियमित अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनुमति हेतु। | ————उपरोक्तानुसार———— |

सम्बन्धित अधिकारी इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ–7/1285/99 दिनांक: 11–04–2000, शासन उप सचिव प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक:प.5 (42) प्राशि/2005 दिनांक: 29.09.2005 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: प09 (5)(30)कार्मिक/क–3/जांच/04 दिनांक: 16–11–2008 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति जारी करेंगे।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
राज0 बीकानेर।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ–6/प.अनुज्ञा/विविध/06/60 दिनांक: 18-03-2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
3. अनुभाग अधिकारी शिविरा अनुभाग को 7 प्रति प्रकाशनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

Scanned by Cam



राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांकः–उनिशि / मा / अज / शैप्र / फा–61 / 2112 दिनांक 21.07.15

प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय
उदरासर नागौर

13
22-7-2015

विषयः– उच्च अध्ययन हेतु परीक्षा स्वीकृति बाबत।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 163–165 दिनांक 11.06.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री मनोज चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के परीक्षा स्वीकृति प्रकरणों के क्रम में लेख है कि :– सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा नियम 9.7.2 (क) के **अनुसार "ऐसी सभी परीक्षाओं को छोड़कर, जहां प्रायोगिक कार्य के लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हो, अन्य सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए शिक्षकों को विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।"**

अतः प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

उप निदेशक (मा.) शिक्षा
अजमेर मण्डल,अजमेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान